उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड

अनिवार्य स्थानान्तरण (प्रपत्र–'क') आवेदन उपलब्ध कराने की अन्तिम तिथि 15.05.2023

संयुक्त निदेशक/प्राचार्य–स्नातकोत्तर/प्राचार्य–स्नातक/उप निदेशक/सहायक निदेशक/ असिस्टेन्ट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत कार्मिक के अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र

आवश्यक निर्देश–

1. उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 (अधिनियम संख्या–01, वर्ष 2018) के अन्तर्गत सुगम से दुर्गम अथवा दुर्गम से सुगम कार्यस्थलों में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र **केवल पात्र नियमित कार्मिक** के द्वारा भरा जाना अनिवार्य है। यदि पात्र कार्मिक के द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उस दशा में विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित रिक्तियों में अवशेष अवधारित रिक्तियों के प्रति स्थानान्तरण समिति/सक्षम प्राधिकारी के द्वारा स्थानान्तरण किये जाने हेतु विचार किया जायेगा।
2. आवेदन पत्र भरने से पूर्व सम्बन्धित कार्मिक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017, (अधिनियम संख्या–01, वर्ष 2018) के समस्त प्राविधानों/धाराओं को भली–भाँति अध्ययन करें, तदनुसार स्वयं का आवेदन पत्र पूरित करें। **(अधिनियम की प्रति उत्तराखण्ड शासन की आधिकारिक वेबसाईट https://he.uk.gov.in पर उपलब्ध है)।**
3. आवेदन पत्र के साथ स्थानान्तरण अधिनियम–2017 (संख्या–01, 2018) में वर्णित प्राविधानों/धाराओं के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण में छूट की प्राप्ति हेतु वांछित प्रमाण पत्र/अभिलेख/विवरण संलग्न करें। वांछित प्रमाण–पत्र/अभिलेख/विवरण संलग्न नहीं होने की दशा में स्थानान्तरण में छूट की प्रार्थना पूर्णतः अस्वीकार कर दी जायेगी।
4. **नियमित सेवा के अतिरिक्त संविदा/विजिटिंग/गैस्ट शिक्षक के रूप में की गयी सेवा की गणना पात्रता सेवा अवधि में नहीं की जायेगी किन्तु तदर्थ सेवा अवधि, पात्रता सेवा अवधि की गणना हेतु अनुमन्य है।**
5. प्राचार्य/कार्यालयाध्यक्ष का दायित्व होगा कि अधिनियम में उल्लिखित उपबन्धों के आलोक में परीक्षण कर केवल पात्र कार्मिक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र अग्रसारित करें। कार्मिक को प्रदत्त की जाने वाली छूट का निर्णय स्थानान्तरण समिति द्वारा किया जायेगा।

(भाग–1)

1. नाम (हिन्दी में) ————————————अंग्रेजी (कैपिटल लैटर में)————————————

2. पिता/पति का नाम ————————————————————————————

3. पदनाम————————————————विषय (शिक्षक वर्ग हेतु)————————————

4. जन्म तिथि ———————————— 5. गृह जनपद (जैसा कि सेवा पुस्तिका में अंकित हो)—————

6. पुरूष/महिला ————————————7. विवाहित/अविवाहित/तलाकशुदा————————

8. श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनारक्षित)——————————

9. राजकीय महाविद्यालय/कार्यालय में प्रथम नियमित नियुक्ति के उपरान्त प्रथम कार्यभार ग्रहण करने की तिथि व प्रथम तैनाती महाविद्यालय का नाम (सुगम/दुर्गम की स्थिति सहित अंकित करें)————————————————————————————————

————————————————————————————————क्रमशः..........02–

10. वर्तमान महाविद्यालय/कार्यालय का नाम (सुगम/दुर्गम की स्थिति) व कार्यभार ग्रहण करने की तिथि—

---

11. विभाग में प्रथम कार्यभार ग्रहण की तिथि से दिनांक 31.05.2023 तक की गई नियमित सेवा का विवरण—

क्र0 सं0	महाविद्यालय/कार्यालय का नाम	सुगम/दुर्गम	तिथि कब से	तिथि कब तक	कुल अवधि (वर्ष, माह, दिन)
1					
2					
3					
4					
5					

नोटः— सुगम व दुर्गम कार्य स्थलों की सूची निदेशालय की वेबसाईट पर उपलब्ध है। सेवा के दौरान प्रति—नियुक्ति होने पर स्थान व अवधि का विवरण भी उपलब्ध करायें (प्रदेश से बाहर सुगम व प्रदेश की भीतर नजदीकी महाविद्यालय के अनुरूप यथा सुगम/दुर्गम कार्यस्थल मान्य होगा)।

(दुर्गम तैनाती के दौरान 7000 फीट अथवा उससे अधिक ऊंचाई वाले चिन्हित राजकीय महाविद्यालय—चकराता एवं मुनस्यारी में की गई एक वर्ष की दुर्गम सेवा अवधि, को दो वर्ष की दुर्गम सेवा अवधि के समतुल्य माना जायेगा।

11 (अ) कार्मिक की दुर्गम कार्यस्थल में तैनाती के दौरान सुगम कार्यस्थल में की गई सम्बद्धता का विवरण—

क्र0 सं0	दुर्गम महाविद्यालय/कार्यालय का नाम, जहाँ कार्मिक कार्यरत रहा	सुगम महाविद्यालय/कार्यालय का नाम, जहाँ कार्मिक सम्बद्ध रहा	तिथि कब से	तिथि कब तक	कुल अवधि (वर्ष, माह, दिन)
1					
2					
3					

नोटः— केवल <u>दुर्गम कार्यस्थल</u> में तैनाती के दौरान कार्मिक के स्वयं के अनुरोध पर <u>सुगम कार्यस्थल</u> में की गई सम्बद्धता अवधि का विवरण, यदि कोई हो तो उपरोक्तानुसार उल्लेख किया जाना अनिवार्य है।

11 (ब) कार्मिक की दुर्गम तैनाती के दौरान एक वर्ष के भीतर में एक माह से अधिक उपभोग किये गये अवकाशों की अवधि (वर्ष, माह, दिन), वर्षवार पूर्ण विवरण का उल्लेख करें (आकस्मिक अवकाश व दीर्घावकाश को छोड़कर)। उक्त अवधि की गणना स्थानान्तरण अधिनियम—2017 की अधिसूचना दिनांक 05.01.2018 से की जाय—

12. राजकीय सेवा में प्रथम कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दिनांक 31 मई 2023 तक की कुल अवधि में सुगम व दुर्गम रूप में पृथक—पृथक की गयी सेवा का विवरण **(प्रतिबन्ध यह है कि तालिका 11(अ) में उल्लिखित सुगम स्थान में की गई सम्बद्धता अवधि (वर्ष, माह, दिन) एवं क्रमांक 11(ब) कार्मिक की दुर्गम तैनाती के दौरान एक वर्ष के भीतर में एक माह से अधिक अवकाशों की अवधि (वर्ष, माह, दिन) को दुर्गम सेवा अवधि में घटाते हुए (यदि कोई हो) दर्शाई जाय –**

(क) सुगम क्षेत्र में कुल सेवा (वर्ष ———————— माह ———————— दिन————)

(ख) दुर्गम क्षेत्र में कुल सेवा (वर्ष ———————— माह ———————— दिन————)

(भाग–2)

प्रारूप–क

'सुगम कार्यस्थल से दुर्गम कार्यस्थल हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण'

13. स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या–01, 2018) के अनुसार यदि कार्मिक सुगम कार्यस्थल से दुर्गम कार्यस्थल में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र है **(धारा–7 में उपबंधित वर्तमान सुगम कार्यस्थल पर न्यूनतम चार वर्ष या उससे अधिक की नियमित सेवा अथवा वर्तमान सुगम कार्य स्थल पर चार वर्ष से कम की नियमित सेवा किन्तु सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान सुगम कार्यस्थलों में 10 वर्ष से अधिक की गई नियमित सेवा)** तो दुर्गम कार्यस्थलों की प्रकाशित रिक्तियों की सूची में से 10 दुर्गम कार्यस्थलों का वरीयता के क्रम में विकल्प प्रस्तुत करें :–

वरीयता क्रम	महाविद्यालय / कार्यालय का नाम	वरीयता क्रम	महाविद्यालय / कार्यालय का नाम
1		6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

नोटः– दुर्गम कार्य स्थलों में रिक्तियों की सूची विभाग / निदेशालय की वेबसाईट पर उपलब्ध है।
(यदि कार्मिक के द्वारा वेबसाईट पर संगत विषय / पद में दुर्गम कार्यस्थलों की प्रकाशित रिक्तियों से इतर सुगम / अन्य कार्यस्थलों का विकल्प अंकित किया जाता है तो उस दशा में वेबसाईट पर संगत विषय / पद में दुर्गम कार्यस्थलों की प्रकाशित रिक्तियों में से अवशेष अवधारित रिक्तियों के प्रति, अपरिहार्य स्थिति न होने पर, स्थानान्तरण हेतु संज्ञान लिया जायेगा।)

14. स्थानान्तरण अधिनियम–2017 (संख्या–01, 2018) के अनुसार यदि आप सुगम कार्यस्थल से दुर्गम कार्यस्थल में अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट के पात्र हैं तो निम्नलिखित निर्धारित शर्तो / प्रतिबन्धों एवं सम्बन्धित धारा के अनुसार प्रमाणिक / वांछित प्रमाण पत्र संलग्न करें:–

क्रम संख्या	निर्धारित शर्त / प्रतिबन्ध	संलग्न प्रमाण पत्र / अभिलेख का विवरण
i	धारा 7घ (एक)– वरिष्ठ कार्मिक (31 मई 2023 को 60 वर्ष या उससे अधिक आयु होने पर)।	
ii	धारा 7घ (दो)– ऐसे कार्मिक, जिन्होंने दुर्गम क्षेत्र में पूर्व में ही 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों।	
iii	धारा 7घ (तीन), धारा (3)–आवेदनकर्ता के गम्भीर रूप से रोगग्रस्त (जैसा कि स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 3(घ) में वर्णित है) अथवा विकलांगता (जैसा कि स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 3 (ड़) में वर्णित है) की श्रेणी में होने के कारण सक्षम प्राधिकारी (जैसा कि स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 3 (च) में वर्णित है) के प्रमाण पत्र के आधार पर **(वांछित प्रमाण–पत्र दिनांक 01.12.2022 से पूर्व निर्गत तिथि का मान्य नहीं होगा)**।	
iv	धारा 7 घ (चार)–ऐसें पति–पत्नी जिनका एकलौता पुत्र / पुत्री विकलांगता की परिभाषा में हो (जैसा कि स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 3 (ड़) में वर्णित है) के प्रमाण–पत्र के आधार पर।	
v	धारा 7 घ (पॉच)–सैनिक व अर्द्ध सैनिक बलों में तैनात कार्मिकों की पति / पत्नी (सक्षम प्राधिकारी के प्रमाण पत्र के आधार पर)।	

क्रमशः........04–

प्रारूप–ख

'दुर्गम कार्यस्थल से सुगम कार्यस्थल हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण'

15. स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या–01, 2018) के अनुसार यदि कार्मिक दुर्गम कार्यस्थल से सुगम कार्यस्थल में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र है **(धारा–10 में उपबंधित वर्तमान दुर्गम कार्यस्थल पर न्यूनतम तीन वर्ष या उससे अधिक की नियमित सेवा अथवा वर्तमान दुर्गम कार्यस्थल पर न्यूनतम तीन वर्ष से कम की नियमित सेवा किन्तु सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान दुर्गम कार्यस्थलों में 10 वर्ष से अधिक की गई नियमित सेवा)** तो सुगम कार्यस्थलों की प्रकाशित रिक्तियों की सूची में से 10 सुगम कार्यस्थलों का विकल्प वरीयता के क्रम में प्रस्तुत करें :–

वरीयता क्रम	महाविद्यालय/कार्यालय का नाम	वरीयता क्रम	महाविद्यालय/कार्यालय का नाम
1		6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

नोटः– सुगम कार्य स्थलों में रिक्तियों की सूची विभाग/निदेशालय की वेबसाईट पर उपलब्ध है।
(यदि कार्मिक के द्वारा वेबसाईट पर संगत विषय/पद में सुगम कार्यस्थलों की प्रकाशित रिक्तियों से इतर दुर्गम/अन्य कार्यस्थलों का विकल्प अंकित किया जाता है तो उस दशा में वेबसाईट पर संगत विषय/पद में सुगम कार्यस्थलों की प्रकाशित रिक्तियों में से अवशेष अवधारित रिक्तियों के प्रति, अपरिहार्य स्थिति न होने पर, स्थानान्तरण हेतु संज्ञान लिया जायेगा।)

(भाग–03)

अन्य विवरण–

16. यदि आप पीएच0डी0 शोध निर्देशन कर रहे हैं तो उसका विवरण व प्रमाण पत्र संलग्न करें————————————————————

17. यदि आपको यू0जी0सी0/सी0एस0आई0आर0/डी0एस0टी0/आई0सी0एस0एस0आर0 आदि के द्वारा वृहद शोध परियोजना स्वीकृत की गई है तो कृपया परियोजना का विवरण व प्रमाण संलग्न करें————————————————————

18. यदि आप महाविद्यालय में एन0सी0सी0 प्रशिक्षण अधिकारी हैं तो उसका विवरण व प्रमाण संलग्न करें————————————————————

19. क्या आपने गत वर्षों में स्थानान्तरण के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में याचिका दायर की थी ? यदि हाँ तो माननीय न्यायालय के निर्णय/आदेश का उल्लेख करते हुए प्रमाण/अभिलेख संलग्न करे(वाद संख्या व वर्ष सहित)————————————————————

क्रमशः.............05–

20. सरकारी सेवकों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के अध्यक्ष/सचिव तथा जिला शाखाओं के अध्यक्ष/सचिव का विवरण–

1. संघ की मान्यता का विवरण (अभिलेखीय)–
2. पदाधिकारी के कार्यालय का विवरण–

21. यदि कार्मिक का गत वर्षों में प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण हुआ हो तो उस दशा विभाग की संस्तुति व अभिलेखीय विवरण संलग्न करें————————————————————————

————————————————————————————————

आवेदक का घोषणा प्रमाण पत्रः

एतद्द्वारा मैं श्री/श्रीमती——————, पदनाम—————— घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त समस्त सूचनायें मेरे स्वयं के द्वारा सही व त्रुटिहीन प्रस्तुत की गई है, जिसमें किसी भी प्रकार के तथ्य व सूचनायें छुपाई नहीं गयी हैं।

दिनांक–

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर–
आवेदनकर्ता का नाम व पदनाम–

प्राचार्य/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदनकर्ता श्री/श्रीमती——————पदनाम—————— के द्वारा उपरोक्त आवेदन पत्र में दी गई वांछित समस्त सूचनायें/विवरण कार्यालय अभिलेखों के साथ मिलान कर लिया गया है। उपलब्ध कराई गई सूचनाऐं व अभिलेख पूर्ण रूप से सही है।

दिनांक–

प्राचार्य/कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर
नाम–

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड

अनुरोध स्थानान्तरण (प्रपत्र–'ग') आवेदन पत्र उपलब्ध कराने की अन्तिम तिथि 30.04.2023

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड के अधीन निदेशालय व राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अधिकारी/प्राचार्य/शिक्षक/शिक्षणेत्तर कार्मिक के अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र

आवश्यक निर्देश–

1. उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 (अधिनियम संख्या–01, वर्ष 2018) की धारा 13 व 14 में प्राविधानित उपबंधों के अधीन ही नियमित कार्मिक का अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण किये जाने की कार्यवाही हेतु आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा।
2. एक ही संवर्ग/पद में दो नियमित पात्र कार्मिकों (जो सुगम से दुर्गम अथवा दुर्गम से सुगम स्थानान्तरण हेतु पात्र हों) द्वारा अधिनियम की धारा 18(3) के अन्तर्गत स्वेच्छा से एक दूसरे के स्थान पर (सुगम एवं दुर्गम अथवा दुर्गम से दुर्गम) परस्पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन कर सकते हैं किन्तु प्रतिबंध यह है कि सुगम कार्यस्थलों में कार्यरत दो कार्मिकों का पारस्परिक स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा। पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु दोनों कार्मिकों की एक–दूसरे के प्रति सहमति का उल्लेख अपने–अपने आवेदन पत्र किया जाना आवश्यक है। अन्यथा की दशा में आवेदन पत्र पूर्णतः अस्वीकार कर दिया जायेगा।
3. आवेदन पत्र भरने से पूर्व यह अपेक्षा की जाती है कि सम्बन्धित कार्मिक **उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 (अधिनियम संख्या–01, वर्ष 2018)** में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु समस्त प्राविधानों/धाराओं को भली–भाँति अध्ययन करें, तदनुसार अपना आवेदन पत्र पूरित करें। **(अधिनियम की प्रति उत्तराखण्ड शासन की अधिकारिक वेबसाईट https://he.uk.gov.in पर उपलब्ध है)।**
4. आवेदन पत्र के साथ में स्थानान्तरण अधिनियम–2017 (संख्या–01, 2018) में वर्णित प्राविधानों/धाराओं के अनुसार अनुरोध के आधार पर व पारस्परिक स्थानान्तरण किये जाने हेतु वांछित प्रमाण पत्र/अभिलेख/विवरण संलग्न करें। वांछित प्रमाण–पत्र/अभिलेख/विवरण संलग्न नहीं होने की दशा में प्रार्थना पत्र पूर्णतः अस्वीकार कर दिया जायेगा।
5. **नियमित सेवा के अतिरिक्त संविदा/विजिटिंग/गैस्ट शिक्षक/कार्मिक के रूप में की गयी सेवा की गणना पात्रता सेवा अवधि में नहीं की जायेगी किन्तु तदर्थ सेवा अवधि, पात्रता सेवा अवधि की गणना हेतु अनुमन्य है।**
6. प्राचार्य/कार्यालयाध्यक्ष का दायित्व होगा कि अधिनियम में उल्लिखित उपबन्धों के आलोक में परीक्षण कर केवल पात्र कार्मिक का अनुरोध स्थानान्तरण आवेदन पत्र ही अग्रसारित करें।

(भाग–1)

1. नाम (हिन्दी में) ———————— अंग्रेजी (कैपिटल लैटर में) ————————

2. पिता/पति का नाम ————————

3. पदनाम ———————— विषय ————————

4. जन्म तिथि ———————— 5. गृह जनपद (जैसा कि सेवा पुस्तिका में अंकित हो) ————————

6. पुरूष/महिला ———————— 7. विवाहित/अविवाहित/तलाकशुदा ————————

8. श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनारक्षित) ————————

क्रमशः.........02–

9. राजकीय महाविद्यालय/कार्यालय में प्रथम नियमित नियुक्ति के उपरान्त **प्रथम कार्यभार ग्रहण करने की तिथि व प्रथम तैनाती महाविद्यालय का नाम (सुगम/दुर्गम की स्थिति अंकित करें)**————————————

10. वर्तमान महाविद्यालय/कार्यालय का नाम (सुगम/दुर्गम की स्थिति अंकित करें) व कार्यभार ग्रहण करने की तिथि————————————

11. विभाग में प्रथम कार्यभार ग्रहण की तिथि से दिनांक 31.05.2023 तक की गई नियमित सेवा का विवरण–

क्र0 सं0	महाविद्यालय/कार्यालय का नाम	सुगम/दुर्गम	तिथि कब से	तिथि कब तक	कुल अवधि (वर्ष, माह, दिन)
1					
2					
3					
4					
5					

नोटः– सुगम व दुर्गम कार्य स्थलों की सूची निदेशालय की वेबसाईट पर उपलब्ध है। सेवा के दौरान प्रति–नियुक्ति होने पर स्थान व अवधि का विवरण भी उपलब्ध करायें (प्रदेश से बाहर सुगम व प्रदेश की भीतर नजदीकी महाविद्यालय के अनुरूप यथा सुगम/दुर्गम कार्यस्थल मान्य होगा)।

(दुर्गम तैनाती के दौरान 7000 फीट अथवा उससे अधिक ऊंचाई वाले चिन्हित राजकीय महाविद्यालय–चकराता एवं मुनस्यारी में की गई एक वर्ष की दुर्गम सेवा अवधि, को दो वर्ष की दुर्गम सेवा अवधि के समतुल्य माना जायेगा।

11 (अ) कार्मिक की दुर्गम कार्यस्थल में तैनाती के दौरान सुगम कार्यस्थल में की गई सम्बद्धता का विवरण–

क्र0 सं0	महाविद्यालय/कार्यालय का नाम, जहाँ से सम्बद्ध किया गया	महाविद्यालय/कार्यालय का नाम, जहाँ सम्बद्ध किया गया	तिथि कब से	तिथि कब तक	कुल अवधि (वर्ष, माह, दिन)
1					
2					
3					

नोटः– केवल दुर्गम कार्यस्थल में तैनाती के दौरान कार्मिक के स्वयं के अनुरोध पर सुगम कार्यस्थल में की गई सम्बद्धता अवधि का विवरण, यदि कोई हो तो उपरोक्तानुसार उल्लेख किया जाना अनिवार्य है।

11 (ब) कार्मिक की दुर्गम तैनाती के दौरान एक वर्ष के भीतर में एक माह से अधिक उपभोग किये गये अवकाशों की अवधि (वर्ष, माह, दिन), वर्षवार पूर्ण विवरण का उल्लेख करें (आकस्मिक अवकाश व दीर्घावकाश को छोड़कर)। उक्त अवधि की गणना स्थानान्तरण अधिनियम–2017 की अधिसूचना दिनांक 05.01.2018 से की जाय–

12. राजकीय सेवा में प्रथम कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दिनांक 31 मई 2023 तक की कुल अवधि में सुगम व दुर्गम रूप में पृथक–पृथक की गयी सेवा का विवरण **(प्रतिबन्ध यह है कि तालिका 11(अ) में उल्लिखित सुगम स्थान में की गई सम्बद्धता अवधि (वर्ष, माह, दिन) एवं क्रमांक 11(ब) कार्मिक की दुर्गम तैनाती के दौरान एक वर्ष के भीतर में एक माह से अधिक अवकाशों की अवधि (वर्ष, माह, दिन) को दुर्गम सेवा अवधि में घटाते हुए (यदि कोई हो) दर्शाई जाय –**

(क) सुगम क्षेत्र में कुल सेवा (वर्ष ———— माह ———— दिन————)

(ख) दुर्गम क्षेत्र में कुल सेवा (वर्ष ———— माह ———— दिन————)

क्रमशः...........03–

(प्रारूप–क)

'अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण'

13. स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या–01, 2018) के अनुसार यदि कार्मिक सुगम/दुर्गम कार्यस्थल, जैसा भी हो, पर कार्यरत है तो अन्य सुगम/दुर्गम कार्यस्थल में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु निम्नलिखित उपबंधों के अधीन ही संगत विषय/पद में प्रकाशित सुगम/दुर्गम रिक्तियों की सूची में से 10 सुगम/दुर्गम कार्यस्थलों का विकल्प वरीयता के क्रम में प्रस्तुत करें :–

क्रम संख्या	निर्धारित शर्त/प्रतिबन्ध	संलग्न प्रमाण पत्र/अभिलेख का विवरण
i	धारा 13(एक)– सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र हेतु अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण।	
ii	धारा 13(दो)–दुर्गम कार्यस्थल में न्यूनतम 03 वर्ष अथवा सम्पूर्ण सेवाकाल में दुर्गम सेवा की 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के आधार पर सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिक दुर्गम क्षेत्र में ही स्थानान्तरण हेतु अनुरोध कर सकेगा किन्तु स्थानान्तरण हेतु इच्छुक स्थान उसके गृह विकासखण्ड के बाहर हो और ठीक पूर्व की तैनाती के स्थल पर ऐसें कार्मिक की भविष्य में पुनः तैनाती 06 वर्ष से पूर्व के अन्तराल पर नहीं की जायेगी।	
iii	धारा 13(तीन)–उत्तराखण्ड सरकार की सेवा कार्यरत पति–पत्नी सुगम अथवा दुर्गम क्षेत्र में एक ही स्थान पर तैनाती हेतु इच्छुक हो तो वे तद्नुसार सुगम अथवा दुर्गम क्षेत्र में एक स्थान पर तैनाती हेतु अनुरोध करने के पात्र होगें किन्तु ऐसीं तैनाती के उपरांत जब भी पति/पत्नी किसी कार्यस्थल पर पर 05/03 वर्ष अथवा सेवाकाल में कुल 10 वर्ष के सेवाकाल में सम्बन्धी मानक पूर्ण करेंगे, तब पति–पत्नी, यथा लागू, सामान्य स्थानान्तरण के पात्र हो जायेगें।	
iv	धारा 13(चार)–कार्मिक स्वयं अपनी अथवा पति/पत्नी (यथा लागू) धारा–3 के खण्ड घ में यथानिर्दिष्ट गंभीर रोगग्रस्तता/विकलांगता के आधार पर ऐच्छिक क्षेत्र/स्थान में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने हेतु पात्र होगें **(वांछित प्रमाण–पत्र दिनांक 01.12.2022 से पूर्व निर्गत तिथि का मान्य नहीं होगा)**।	
v	धारा 13(पांच)–मानसिक रूप से विक्षिप्त अथवा ऐसें रोगग्रस्त बच्चे जो पूर्णतः लाचार है तथा देखभाल/नित्यक्रिया आदि के लिए पूर्णतः माता–पिता पर निर्भर हैं, ऐंसी दशा में उनके माता–पिता मेडिकल बोर्ड के एतद्विषयक प्रमाण–पत्र के आधार पर अपने बच्चे की चिकित्सा की समुचित व्यवस्था के लिए दुर्गम से सुगम अथवा सुगम से दुर्गम क्षेत्र/स्थान में स्थानान्तरण के अनुरोध करने हेतु पात्र होगें **(वांछित प्रमाण–पत्र दिनांक 01.12.2022 से पूर्व निर्गत तिथि का मान्य नहीं होगा)**।	
vi	धारा 13(छः)–विधवा, विधुर सक्षम न्यायालय के आदेश से घोषित परित्यक्ता एवं तलाकशुदा तथा वरिष्ठ कार्मिक अनुरोध के आधार पर ऐच्छिक क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने के पात्र होगें।	

क्रमशः...........04–

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु विकल्प

वरीयता क्रम	महाविद्यालय/कार्यालय का नाम	वरीयता क्रम	महाविद्यालय/कार्यालय का नाम
1		6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

नोटः– अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु सुगम/दुर्गम कार्यस्थलों में रिक्तियों की सूची विभाग/निदेशालय की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

(प्रारूप–ख)

'एक ही संवर्ग/पद में कार्यरत पात्र कार्मिकों के परस्पर स्थानान्तरण हेतु विकल्प

अधिनियम की धारा 18(3) के अनुसार दो कार्मिक स्वेच्छा से एक दूसरे के स्थान पर (सुगम एवं दुर्गम अथवा दुर्गम एवं दुर्गम अथवा सुगम एवं सुगम कार्यस्थल में) पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने पर पारस्परिक स्थानान्तरण किये जायेगें। सुगम कार्यस्थलों में तैनात दो कार्मिकों का पारस्परिक स्थानान्तरण अनुमन्य न होगा।

14. यदि आप उपरोक्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो उस कार्मिक का नाम, पदनाम व वर्तमान कार्यरत महाविद्यालय का नाम (सुगम/दुर्गम की स्थिति सहित), जिसके साथ पारस्परिक स्थानान्तरण करना चाहते हैं (प्रतिबन्ध यह है कि उस सम्बन्धित कार्मिक के आवेदन पत्र में भी आपकी सहमति का उल्लेख किया जाना अनिवार्य है)————————————

————————————————————————————

————————————————————————————

आवेदक का घोषणा प्रमाण पत्रः

एतद्द्वारा मैं श्री/श्रीमती————————, पदनाम———————— घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त समस्त सूचनायें मेरे स्वयं के द्वारा सही व त्रुटिहीन प्रस्तुत की गई है, जिसमें किसी भी प्रकार के तथ्य व सूचनायें छुपाई नहीं गयी हैं।

दिनांक–

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर–
आवेदनकर्ता का नाम व पदनाम–

प्राचार्य/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदनकर्ता श्री/श्रीमती————————पदनाम—————— के द्वारा उपरोक्त आवेदन पत्र में दी गई वांछित समस्त सूचनायें/विवरण कार्यालय अभिलेखों के साथ मिलान कर लिया गया है। उपलब्ध कराई गई सूचनाऐं व अभिलेख पूर्ण रूप से सही है।

दिनांक–

प्राचार्य/कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर
नाम–

९

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड

अनिवार्य स्थानान्तरण (प्रपत्र–'ख') आवेदन पत्र उपलब्ध कराने की अन्तिम तिथि 15.05.2023

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड के अधीन समूह 'ग' व 'घ' श्रेणी में कार्यरत पात्र कार्मिक के लिए अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र

आवश्यक निर्देश–

1. उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 (अधिनियम संख्या–01, वर्ष 2018) के अन्तर्गत सुगम से दुर्गम अथवा दुर्गम से सुगम कार्यस्थलों में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र **केवल पात्र नियमित कार्मिक** के द्वारा भरा जाना अनिवार्य है। यदि पात्र कार्मिक के द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उस दशा में विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित रिक्तियों में अवशेष अवधारित रिक्तियों के प्रति स्थानान्तरण समिति/सक्षम प्राधिकारी के द्वारा स्थानान्तरण किये जाने हेतु विचार किया जायेगा।
2. आवेदन पत्र भरने से पूर्व सम्बन्धित कार्मिक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017, (अधिनियम संख्या–01, वर्ष 2018) के समस्त प्राविधानों/धाराओं को भली–भाँति अध्ययन करें, तदनुसार स्वयं का आवेदन पत्र पूरित करें। **(अधिनियम की प्रति उत्तराखण्ड शासन की अधिकारिक वेबसाईट https://he.uk.gov.in पर उपलब्ध है)**।
3. आवेदन पत्र के साथ स्थानान्तरण अधिनियम–2017 (संख्या–01, 2018) में वर्णित प्राविधानों/धाराओं के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण में छूट की प्राप्ति हेतु वांछित प्रमाण पत्र/अभिलेख/विवरण संलग्न करें। वांछित प्रमाण–पत्र/अभिलेख/विवरण संलग्न नहीं होने की दशा में स्थानान्तरण में छूट की प्रार्थना पूर्णतः अस्वीकार कर दी जायेगी।
4. **नियमित सेवा के अतिरिक्त संविदा कार्मिक के रूप में की गयी सेवा की गणना पात्रता सेवा अवधि में नहीं की जायेगी किन्तु तदर्थ सेवा अवधि, पात्रता सेवा अवधि की गणना हेतु अनुमन्य है।**
5. प्राचार्य/कार्यालयाध्यक्ष का दायित्व होगा कि अधिनियम में उल्लिखित उपबन्धों के आलोक में परीक्षण कर केवल पात्र कार्मिक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र ही अग्रसारित करें। कार्मिक को प्रदत्त की जाने वाली छूट का निर्णय स्थानान्तरण समिति द्वारा किया जायेगा।

(भाग–1)

1. नाम (हिन्दी में) ———————————अंग्रेजी (कैपिटल लैटर में)——————————

2. पिता/पति का नाम ————————————————————————

3. पदनाम——————————————————————————————

4. जन्म तिथि ——————— 5. गृह जनपद (जैसा कि सेवा पुस्तिका में अंकित हो)————

6. पुरुष/महिला ——————————7. विवाहित/अविवाहित/तलाकशुदा————————

8. श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनारक्षित)———————

9. राजकीय महाविद्यालय/कार्यालय में प्रथम नियमित नियुक्ति के उपरान्त प्रथम कार्यभार ग्रहण करने की तिथि व प्रथम तैनाती महाविद्यालय का नाम (सुगम/दुर्गम की स्थिति सहित अंकित करें)——————————————————————————

————————————————————————क्रमशः..........02–

10

10. वर्तमान महाविद्यालय/कार्यालय का नाम (सुगम/दुर्गम की स्थिति) व कार्यभार ग्रहण करने की तिथि---

----

----

11. विभाग में प्रथम कार्यभार ग्रहण की तिथि से दिनांक 31.05.2023 तक की गई नियमित सेवा का विवरण–

क्र0 सं0	महाविद्यालय/कार्यालय का नाम	सुगम/दुर्गम	तिथि कब से	तिथि कब तक	कुल अवधि (वर्ष, माह, दिन)
1					
2					
3					
4					
5					

नोटः– सुगम व दुर्गम कार्य स्थलों की सूची निदेशालय की वेबसाईट पर उपलब्ध है। सेवा के दौरान प्रति–नियुक्ति होने पर स्थान व अवधि का विवरण भी उपलब्ध करायें (प्रदेश से बाहर सुगम व प्रदेश की भीतर नजदीकी महाविद्यालय के अनुरूप यथा सुगम/दुर्गम कार्यस्थल मान्य होगा)।

(दुर्गम तैनाती के दौरान 7000 फीट अथवा उससे अधिक ऊंचाई वाले चिन्हित राजकीय महाविद्यालय–चकराता एवं मुनस्यारी में की गई एक वर्ष की दुर्गम सेवा अवधि, को दो वर्ष की दुर्गम सेवा अवधि के समतुल्य माना जायेगा।

11 (अ) कार्मिक की दुर्गम कार्यस्थल में तैनाती के दौरान सुगम कार्यस्थल में की गई सम्बद्धता का विवरण–

क्र0 सं0	दुर्गम महाविद्यालय/ कार्यालय का नाम, जहाँ कार्मिक कार्यरत रहा	सुगम महाविद्यालय/ कार्यालय का नाम, जहाँ कार्मिक सम्बद्ध रहा	तिथि कब से	तिथि कब तक	कुल अवधि (वर्ष, माह, दिन)
1					
2					
3					

नोटः– केवल <u>दुर्गम कार्यस्थल</u> में तैनाती के दौरान कार्मिक के स्वयं के अनुरोध पर <u>सुगम कार्यस्थल</u> में की गई सम्बद्धता अवधि का विवरण, यदि कोई हो तो उपरोक्तानुसार उल्लेख किया जाना अनिवार्य है।

11 (ब) कार्मिक की दुर्गम तैनाती के दौरान एक वर्ष के भीतर में एक माह से अधिक उपभोग किये गये अवकाशों की अवधि (वर्ष, माह, दिन), वर्षवार पूर्ण विवरण का उल्लेख करें (आकस्मिक अवकाश व दीर्घावकाश को छोड़कर)। उक्त अवधि की गणना स्थानान्तरण अधिनियम–2017 की अधिसूचना दिनांक 05.01.2018 से की जाय–

12. राजकीय सेवा में प्रथम कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दिनांक 31 मई 2023 तक की कुल अवधि में सुगम व दुर्गम रूप में पृथक–पृथक की गयी सेवा का विवरण **(प्रतिबन्ध यह है कि तालिका 11(अ) में उल्लिखित सुगम स्थान में की गई सम्बद्धता की (वर्ष, माह, दिन) एवं क्रमांक 11(ब) कार्मिक की दुर्गम तैनाती के दौरान एक वर्ष के भीतर में एक माह से अधिक अवकाशों की अवधि (वर्ष, माह, दिन) को दुर्गम सेवा अवधि में घटाते हुए (यदि कोई हो) दर्शाई जाय –**

(क) सुगम क्षेत्र में कुल सेवा (वर्ष ————— माह ————— दिन————)

(ख) दुर्गम क्षेत्र में कुल सेवा (वर्ष ————— माह ————— दिन————)

क्रमशः..........03–

Alm L
11

(भाग–2)

प्रारूप–क

'सुगम कार्यस्थल से दुर्गम कार्यस्थल हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण'

13. स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या–01, 2018) के अनुसार यदि कार्मिक सुगम कार्यस्थल से दुर्गम कार्यस्थल में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र है **(धारा–7 में उपबंधित वर्तमान सुगम कार्यस्थल पर न्यूनतम चार वर्ष या उससे अधिक की नियमित सेवा अथवा वर्तमान सुगम कार्य स्थल पर चार वर्ष से कम की नियमित सेवा किन्तु सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान सुगम कार्यस्थलों में 10 वर्ष से अधिक की गई नियमित सेवा)** तो दुर्गम कार्यस्थलों की प्रकाशित रिक्तियों की सूची में से 10 दुर्गम कार्यस्थलों का वरीयता के क्रम में विकल्प प्रस्तुत करें :–

वरीयता क्रम	महाविद्यालय/कार्यालय का नाम	वरीयता क्रम	महाविद्यालय/कार्यालय का नाम
1		6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

नोटः– दुर्गम कार्य स्थलों में रिक्तियों की सूची विभाग/निदेशालय की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

(यदि कार्मिक के द्वारा वेबसाईट पर संगत विषय/पद में दुर्गम कार्यस्थलों की प्रकाशित रिक्तियों से इतर सुगम/अन्य कार्यस्थलों का विकल्प अंकित किया जाता है तो उस दशा में वेबसाईट पर संगत विषय/पद में दुर्गम कार्यस्थलों की प्रकाशित रिक्तियों में से अवशेष अवधारित रिक्तियों के प्रति, अपरिहार्य स्थिति न होने पर, स्थानान्तरण हेतु संज्ञान लिया जायेगा।)

14. स्थानान्तरण अधिनियम–2017 (संख्या–01, 2018) के अनुसार यदि आप सुगम कार्यस्थल से दुर्गम कार्यस्थल में अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट के पात्र हैं तो निम्नलिखित निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों एवं सम्बन्धित धारा के अनुसार प्रमाणिक/वांछित प्रमाण पत्र संलग्न करें:–

क्रम संख्या	निर्धारित शर्त/प्रतिबन्ध	संलग्न प्रमाण पत्र/अभिलेख का विवरण
i	धारा 7घ (एक)– वरिष्ठ कार्मिक (31 मई 2023 को 55 वर्ष या उससे अधिक आयु होने पर)।	
ii	धारा 7घ (दो)– ऐसें कार्मिक, जिन्होंने दुर्गम क्षेत्र में पूर्व में ही 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों।	
iii	धारा 7घ (तीन), धारा (3)–आवेदनकर्ता के गम्भीर रूप से रोगग्रस्त (जैसा कि स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 3(घ) में वर्णित है) अथवा विकलांगता (जैसा कि स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 3 (ड़) में वर्णित हैं) की श्रेणी में होने के कारण सक्षम प्राधिकारी (जैसा कि स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 3 (च) में वर्णित है) के प्रमाण पत्र के आधार पर **(वांछित प्रमाण–पत्र दिनांक 01.12.2022 से पूर्व निर्गत तिथि का मान्य नहीं होगा)**।	
iv	धारा 7 घ (चार)–ऐसें पति–पत्नी जिनका एकलौता पुत्र/पुत्री विकलांगता की परिभाषा में हो (जैसा कि स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 3 (ड़) में वर्णित है) के प्रमाण–पत्र के आधार पर।	
v	धारा 7 घ (पाँच)–सैनिक व अर्द्ध सैनिक बलों में तैनात कार्मिकों की पति/पत्नी (सक्षम प्राधिकारी के प्रमाण पत्र के आधार पर)।	

क्रमशः........04–

12

प्रारूप–ख

'दुर्गम कार्यस्थल से सुगम कार्यस्थल हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण'

15. स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या–01, 2018) के अनुसार यदि कार्मिक दुर्गम कार्यस्थल से सुगम कार्यस्थल में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र है **(धारा–10 में उपबंधित वर्तमान दुर्गम कार्यस्थल पर न्यूनतम तीन वर्ष या उससे अधिक की नियमित सेवा अथवा वर्तमान दुर्गम कार्यस्थल पर न्यूनतम तीन वर्ष से कम की नियमित सेवा किन्तु सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान दुर्गम कार्यस्थलों में 10 वर्ष से अधिक की गई नियमित सेवा)** तो गृह जनपद (जैसा कि अधिनियम में प्राविधानित है) के कार्यस्थलों को छोड़कर सुगम कार्यस्थलों की प्रकाशित रिक्तियों की सूची में से 10 सुगम कार्यस्थलों का विकल्प वरीयता के क्रम में प्रस्तुत करें :–

वरीयता क्रम	महाविद्यालय / कार्यालय का नाम	वरीयता क्रम	महाविद्यालय / कार्यालय का नाम
1		6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

नोटः– सुगम कार्य स्थलों में रिक्तियों की सूची विभाग / निदेशालय की वेबसाईट पर उपलब्ध है। (यदि कार्मिक के द्वारा वेबसाईट पर संगत विषय / पद में सुगम कार्यस्थलों की प्रकाशित रिक्तियों से इतर दुर्गम / अन्य कार्यस्थलों का विकल्प अंकित किया जाता है तो उस दशा में वेबसाईट पर संगत विषय / पद में सुगम कार्यस्थलों की प्रकाशित रिक्तियों में से अवशेष अवधारित रिक्तियों के प्रति, अपरिहार्य स्थिति न होने पर, स्थानान्तरण हेतु संज्ञान लिया जायेगा।)

(भाग–03)

अन्य विवरण–

16. क्या आपने गत वर्षों में स्थानान्तरण के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में याचिका दायर की थी ? यदि हाँ तो माननीय न्यायालय के निर्णय / आदेश का उल्लेख करते हुए प्रमाण / अभिलेख संलग्न करे(वाद संख्या व वर्ष सहित)————————————————

————————————————

17. सरकारी सेवकों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के अध्यक्ष / सचिव तथा जिला शाखाओं के अध्यक्ष / सचिव का विवरण–

3. संघ की मान्यता का विवरण (अभिलेखीय)–
4. पदाधिकारी के कार्यालय का विवरण–

21. यदि कार्मिक का गत वर्षों में प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण हुआ हो तो उस दशा विभाग की संस्तुति व अभिलेखीय विवरण संलग्न करें————————————————

————————————————

क्रमशः...............05–

13

आवेदक का घोषणा प्रमाण पत्रः

एतद्द्वारा मैं श्री/श्रीमती————————, पदनाम———————— घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त समस्त सूचनायें मेरे स्वयं के द्वारा सही व त्रुटिहीन प्रस्तुत की गई है, जिसमें किसी भी प्रकार के तथ्य व सूचनायें छुपाई नहीं गयी हैं।

दिनांक–

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर–
आवेदनकर्ता का नाम व पदनाम–

प्राचार्य/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदनकर्ता श्री/श्रीमती————————पदनाम———————— के द्वारा उपरोक्त आवेदन पत्र में दी गई वांछित समस्त सूचनायें/विवरण कार्यालय अभिलेखों के साथ मिलान कर लिया गया है। उपलब्ध कराई गई सूचनाएें व अभिलेख पूर्ण रूप से सही है।

दिनांक–

प्राचार्य/कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर
नाम–

प्रारूप–ग

समस्त नियमित कार्मिकों **(प्राचार्य/अधिकारी/शिक्षक/कर्मचारी वर्गों)** का सेवा इतिहास का प्रारूप **(प्राचार्य स्तर से पूरित)**।

Anal
14

प्रारूप–ग

स्थानान्तरण के दृष्टिगत समस्त नियमित कार्मिकों का सेवा इतिहास (प्राचार्य स्तर से पूरित)

महाविद्यालय का नाम–

समूह–क (प्राचार्य व अधिकारी)

स्थानान्तरण सत्रः 2023–24

क्र0 सं0	नाम	पद	विषय	जन्म तिथि	गृह जनपद	प्रथम नियमित नियुक्ति के कार्यभार ग्रहण की तिथि	वर्तमान कार्यरत महाविद्यालय का नाम	सेवा अवधि						
								कुल दुर्गम			कुल सुगम			
								दिन	माह	वर्ष	दिन	माह	वर्ष	
1	2	3	4	5	6	7	8	9						10

दिनांक–

प्राचार्य के हस्ताक्षर मोहर सहित

प्रारूप–ग (i)

महाविद्यालय का नाम–

समूह–ग (समस्त संवर्ग)

स्थानान्तरण सत्रः 2023–24

क्र0 सं0	नाम	पद	विषय	जन्म तिथि	गृह जनपद	प्रथम नियमित नियुक्ति के कार्यभार ग्रहण की तिथि	वर्तमान कार्यरत महाविद्यालय का नाम	सेवा अवधि						
								कुल दुर्गम			कुल सुगम			
								दिन	माह	वर्ष	दिन	माह	वर्ष	
1	2	3	4	5	6	7	8	9						10

दिनांक–

प्राचार्य के हस्ताक्षर मोहर सहित

प्रारूप–ग(ii)

महाविद्यालय का नाम–

समूह–घ (समस्त संवर्ग)

स्थानान्तरण सत्रः 2023–24

क्र0 सं0	नाम	पद	विषय	जन्म तिथि	गृह जनपद	प्रथम नियमित नियुक्ति के कार्यभार ग्रहण की तिथि	वर्तमान कार्यरत महाविद्यालय का नाम	सेवा अवधि						
								कुल दुर्गम			कुल सुगम			
								दिन	माह	वर्ष	दिन	माह	वर्ष	
1	2	3	4	5	6	7	8	9						10

दिनांक–

प्राचार्य के हस्ताक्षर मोहर सहित